पत्रांक –सं0सं0–02 / उ0नि0 / स्वीकृत्यादेश (डी0जी0सेट अनुदान) / 03–146 / 2015..891

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 24.3.17

विषयः– औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों को ₹ 39,46,986 / – (कुल उनचालीस लाख छियालीस हजार नौ सौ छियासी रूपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो0 नीति, 2011 के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक–09.03.2017 की बैठक में लिए गए निर्णय तद्नुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–837 दिनांक–23.03.2017 के आलोक में निम्नांकित औद्योगिक ईकाइयों को उनके नाम के सामने अंकित विवरण के अनुसार डी0जी0सेट / कैप्टिभ पावर प्लांट अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती हैः–

क्रमांक	ईकाई का नाम / पता	अनुदान की राशि
1.	सर्वश्री कुमकुम पशु आहार प्रा0 लि0, नोनार, छेवरी, रामपुर, कैमूर	₹ 8,49,969 / –
2.	सर्वश्री जनता राईस मिल, ग्राम–अर्राहा, पो0–सुहत, सौर बाजार, सहरसा	₹ 3,92,500 / –
3.	मेसर्स आर0 के0 पॉली इण्डस्ट्रीज, सिद्दकी लेन, कन्हौली नाका, मुजफ्फरपुर	₹ 2,47,750 / –
4.	सर्वश्री टेकरीवाल पेंट्स इण्डस्ट्रीज, सिमलीमुरारपुर, मालसलामी रोड, पटना	₹ 2,47,500 / –
5.	मेसर्स हरगौरी रिसाइक्लिंग प्लांट प्रा0 लि0, ठाकुरगंज, किशनगंज	₹ 3,61,080 / –
6.	सर्वश्री पारूल पैकेजिंग प्रा0 लि0, औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर	₹ 3,90,187 / –
7.	सर्वश्री साहा एण्ड ब्राईट पॉलीटेक प्रा0 लि0, खिरोदपुर, खुशरूपुर, पटना	₹ 14,58,000 / –
	कुल	₹ 39,46,986 / –
		(कुल उनचालीस लाख छियालीस हजार नौ सौ छियासी रूपए मात्र)

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों / प्रमाण–पत्रों / अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

कृ0प0उ0

2. उक्त राशि का व्यय वहन उद्योग विभागीय राज्यादेश संख्या–2492, दिनांक–11.07.2016 एवं आवंटनादेश संख्या–41/आ0 दिनांक–19.07.2016 के आलोक में मांग संख्या–23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष–0160–प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड– P2852801020160 राज्य योजना स्कीम कोड–IND–5432 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में आवंटित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

5. इस राशि की निकासी **"पूर्व प्राप्ति रसीद"** पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान **संबंधित ईकाइयों** को **RTGS/NEFT** के माध्यम से की जाएगी।

ह0/–
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–............. पटना, दिनांक............

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–891 पटना, दिनांक 24.3.17

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा–01 (सरकार)/ आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ **सभी संबंधित ईकाइयों** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

(8)

Vishwanath section-2